तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 85 / 2025 जीसीएमएस : 2025 / 153 प्रभुदयाल छाबड़ा बनाम सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
18.07.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 2321 दिनांक 07.07.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। संलग्न पत्रावली की जावे। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के नाम से चक 4 जेएसडी के खाता सं. 25 में मु.नं. 42 व 49 की कुल 1.708है. कमाण्ड मय खाला भूमि है तथा खाता सं. 125 में मु.नं. 42 व 49 की 1.999है. कमाण्ड मय खाला भूमि खातेदारी रिकार्ड दर्ज है। खाता सं. 25 की भूमि में प्रार्थी का नाम प्रभुदयाल छाबड़ा पुत्र चांदीराम अंकित है जो सही है लेकिन खाता सं. 125 की भूमि में प्रार्थी का नाम प्रभुदयाल पुत्र चान्दीराम संहवन से एवं लिपिकीय त्रुटि से अंकित हो गया है। राजस्व रिकार्ड खाता सं. 125 में प्रार्थी का नाम दुरूस्त कर प्रभुदयाल के स्थान पर प्रभुदयाल छाबड़ा किये जाने हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर के अनुसार चक 4 जेएसडी खाता सं. 25 में नाम प्रभुदयाल छाबड़ा पुत्र चांदीराम है। अन्य खाता सं. 125 में नाम प्रभुदयाल पुत्र चान्दीराम जरिये विरास्तन नामान्तरकरण सं. 144 निर्णय दिनांक 21.01.1996 से वारिस प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत जैतसर दिनांक 16.06.1991 के आधार पर दर्ज हुआ है। जिसकी दुरूस्ती प्रार्थी जरिए वाद चाहा है। खाता सं. 125 में प्रभुदयाल के स्थान पर प्रभुदयाल छाबड़ा नाम दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत पहचान के दस्तावेजों आधार कार्ड एवं मूल निवास प्रमाण पत्र में नाम प्रभुदयाल छाबड़ा अंकित है। खाता सं. 25 की जमाबंदी में भी नाम प्रभुदयाल छाबड़ा अंकित है। प्रार्थी खाता सं. 125 में अपने नाम से दर्ज भूमि में प्रभुदयाल नाम के आगे छाबड़ा अंकित करवाना चाहते है। जो दुरूस्त किया जाना न्यायालय की राय में उचित है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड चक 4 जेएसडी खाता सं. 125 में दर्ज मु.नं. 42 व 49 की कुल 1.999है. कमाण्ड मय खाला भूमि के काश्तकार के नाम को दुरूस्त कर प्रभुदयाल पुत्र चान्दीराम के स्थान पर प्रभुदयाल छाबड़ा पुत्र चान्दीराम अंकित किया जावे। शेष अंकन यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (शकुन्तला) R.A.S. उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर	

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीविजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:51:48 IST
Reason: SelfAttested